सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

रा0 अपील सं0 27/2017
कैलाश पुत्र भैरुसहाय जाति लुहार निवासी सैंथल उप तहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा ..अपी0

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा (भू–स्वामी)
2.उप तहसीलदार उप तहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 182 दिनांक 31.10.2001
कैम्प सैंथल जिला दौसा द्वारा तहसीलदार, दौसा

उपस्थिति–1. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय — दिनांक: 20.12.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा द्वारा कैम्प सैंथल में दिनांक 31.10.2001 को नामान्तरकरण सं0 182 पर मुताबिक रिपोर्ट आईएलआर नामान्तरकरण अस्वीकार है। 14 (4) का प्रकरण बनाकर आज ही प्रस्तुत करें बाबत अंकित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि वाके ग्राम चक हबीब वाला तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नंबर 350/4 रकबा 0.25 भूमि आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1986 को कैलाश पुत्र भैरु सहाय जाति लुहार निवासी सैंथल को आवंटन किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खोला गया जिसके विरुद्ध आम जनता ग्राम हबीबवाला तहसील दौसा जरिये रामकिशन वगैरह द्वारा अपीलांट कैलाश के पक्ष में गैर खातेदारी के नामान्तरकरण के विरुद्ध माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा में अपील संख्या 18/1996 की गई थी। माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 07.04.1997 को आम जनता ग्राम हबीबवाला की अपील खारिज करते हुए गैर खातेदारी का नामान्तरकरण यथावत रखा गया है। तत्पश्चात कैम्प सैंथल में नामान्तरकरण संख्या 182 गैर खातेदारी से खातेदारी का अपीलांट के हक में भर कर पटवारी हल्का द्वारा गिरदावर की रिपोर्ट करवाकर कैम्प सैथल में प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा बिना कोई जॉच किये ही उक्त नामान्तरकरण को केवल मात्र आईएलआर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया तथा उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर यह भी आदेश फरमाये गये कि उक्त प्रकरण मे 14(4) की कार्यवाही की जावें। तत्पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष 14 (4) का प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया गया। जिसका निर्णय माननीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 03.03.2006 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत 14 (4) का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाते हुए अपीलांट कैलाश पुत्र भैरु सहाय के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1986 यथावत रखा गया। तत्पश्चात भी तहसीलदार द्वारा आज तक अपीलांट के हक में उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी नहीं खोला गया। आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा है और अपीलांट

क्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। गिरदावरी संवत 2057 से 2060 प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण खोलने के आदेश फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अपीलांट को आवंटित भूमि की अपील माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 07.04.1997 को खारिज करते हुए गैर खातेदारी का नामान्तरकरण यथावत रखा गया तथा तहसीलदार दौसा द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष 14 (4) का प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया गया उसका निर्णय माननीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 03.03.2006 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत 14 (4) का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाते हुए अपीलांट कैलाश पुत्र भैरु सहाय के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1986 यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। प्रकरण को तहसीलदार दौसा द्वारा समझकर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाके ग्राम चक हबीब वाला तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नंबर 350/4 रकबा 0.25 भूमि का दिनांक 15.05.1986 को कैलाश पुत्र भैरु सहाय जाति लुहार निवासी सैंथल को आवंटन किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में खोले गये गैर खातेदारी के नामान्तरकरण के विरुद्ध ग्राम वासियों ने अपीलांट कैलाश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील करने पर उसका निर्णय दिनांक 07.04.1997 को अपील खारिज करते हुए गैर खातेदारी का नामान्तरकरण यथावत रखा गया। तत्पश्चात कैम्प सैंथल में नामान्तरकरण संख्या 182 गैर खातेदारी से खातेदारी का अपीलांट के हक में भर कर पटवारी हल्का द्वारा गिरदावर की रिपोर्ट कवाकर कैम्प सैथल में प्रस्तुत किया जिस पर गिरदावर हल्का ने कब्जा नहीं है। काबिल खारिज है अंकित करने पर तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त नामान्तरकरण को आईएलआर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया तथा नामान्तरकरण पर 14(4) की कार्यवाही करने के आदेश अंकित किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष 14 (4) का प्रकरण पेश किया गया जिसका निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 03.03. 2006 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत 14 (4) का प्रार्थना–पत्र खारिज करते हुए अपीलांट कैलाश पुत्र भैरु सहाय के नाम किया गया आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1986 यथावत रखा गया। हॉलाकि इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलांट कैलाश को उक्त भूमि आवंटित हुई है और उसके विरुद्ध की गई अपील व प्रा0 पत्र 14 (4) भी निरस्त होकर अपीलांट का आवंटन यथावत रहा है। किंतु प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए इस पर सीधा ही कोई कार्यवाही नहीं करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 182 दिनांक 31.10.2001 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण पर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में 02 माह के भीतर–भीतर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा